



मानव संसाधन प्रबंध विभाग (आवंटन अनुभाग)

Human Resource Management Department (Allotment Section)

भुवनेश्वर/ Bhubaneswar

बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - कार उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर को किराये की सेवाएँ प्रदान हेतु कार किराया एजेंसियों का पैनल बनाना

निविदा संख्या- [आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/2/25-26/ईटी/912](#)

शीर्षक गत निविदा 28 जनवरी 2026 को आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी और [शुद्धिपत्र 11 फरवरी 2026 को आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया](#) था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, शीर्षक गत निविदा के लिए बोली-पूर्व बैठक 24 फरवरी 2026 को सुबह 11:00 बजे सम्मेलन कक्ष, दूसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी।

बोली-पूर्व बैठक में निम्नलिखित एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया:

क्रम संख्या	नाम	एजेंसी का नाम
1	श्री तुषार रंजन आचार्य	गायत्री ट्रेवल्स
2	श्री तापस कुमार नायक	यूनिक ट्रेवल्स
3	श्री सुरेश चन्द्र कर	स्वोस्ति ट्रेवल्स
4	श्री राजेश कुमार बेहेरा	कल्याण ट्रेवल्स
5	श्री नारायण रथ	त्रिमूर्ति ट्रेवल्स
6	श्री शशि भूषण मोहपात्रा	यात्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स
7	श्री संजय कुमार दास	बैकुंठ टूर्स एंड ट्रेवल्स

भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर की ओर से निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे:

- श्री राहुल सिंह केराम, प्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग
- श्री बिज्ञ प्रसाद सामंतराय, सहायक प्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग
- श्री आलोक चंद्र पाणिग्राही, सहायक प्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग
- श्री राजकिशोर बिश्वाल, सहायक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग

2. बैठक में इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों के संदर्भ में बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं:

क्रम संख्या	एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा उठाए गए प्रश्न	बैंक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण
i.	ई-निविदा में भाग लेने के लिए किसी एजेंसी की न्यूनतम फ्लॉट की आवश्यकता क्या होगी?	इच्छुक बोलीदाताओं को 11 फरवरी, 2026 को आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित शुद्धिपत्र का संदर्भ लेने की सलाह दी गई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि, फ्लॉट में श्रेणी I और II में न्यूनतम 02 कारें, श्रेणी III में 2 कारें, श्रेणी I-VI में किसी भी श्रेणी में शेष 6 कारें शामिल होनी चाहिए और जिन्हें निविदा फर्म द्वारा पट्टे पर लिया जाना चाहिए।
ii.	गैरेज से पिक-अप प्वाइंट तक और ड्रॉप प्वाइंट से गैरेज तक वापस जाने के संबंध में प्रभार्य अधिकतम दूरी क्या होगी?	इच्छुक बोलीदाताओं को 28 जनवरी, 2026 को आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित निविदा दस्तावेज के पृष्ठ 64 को देखने की सलाह दी गई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि, गैरेज से पिक-अप प्वाइंट और ड्रॉप प्वाइंट से वापस गैरेज के संबंध में दावा की जा सकने वाली अधिकतम दूरी के शुल्क प्रत्येक तरफ 05 किलोमीटर (आने-जाने के लिए) तक सीमित होंगे और बिल का भुगतान वास्तविक दूरी या 05 किलोमीटर प्रत्येक के लिए किया जाएगा पक्ष (आने-जाने) जो भी कम हो। यह हवाई अड्डे के ड्रॉप/पिकअप और रेलवे स्टेशन के ड्रॉप/पिकअप के मामले में लागू नहीं होगा।

3. एजेंसियों/कंपनियों के प्रतिनिधियों को धन्यवाद देने के साथ बैठक का समापन हुआ।

4. उपरोक्त सभी बिंदुओं को बोलीदाताओं द्वारा नोट और सहमति दी गई है।

- i. बोली-पूर्व बैठक के ये कार्यवृत्त निविदा दस्तावेज/करार का हिस्सा होंगे।
- ii. निविदा दस्तावेज के बाकी नियम और शर्तें और विनिर्देश समान रहेंगे।
- iii. उपरोक्त संशोधन/स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की जानकारी के लिए जारी किए जाते हैं।
- iv. फर्म द्वारा बोली प्रस्तुत करने का अर्थ यह माना जाएगा कि यह बोली दस्तावेज और ऊपर दिए गए संशोधनों/स्पष्टीकरणों के अनुरूप है।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर